फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

श्रीनारायण वगै0 बनाम जगन्नाथ वगै0

मुकदमा संख्या : 78/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29.12.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादांकित भूमि के संबंध में मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक पत्रावली मे जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश 07.09.2020 को कन्फर्म किया जावें। जिससे वादांकित भूमि किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नही हो सकें। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादांकित भूमि पर जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का पत्रावली में जारी रखे जाने का कोई औचित्य नही है। अतः इस स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावें। पत्रावली का अवलोकन करने व बहस का मनन करे पर प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 07.09.2020 को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक कन्फर्म करना उचित समझते है। अतः पत्रावली में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 07.09.2020 को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक ताफैसला कन्फर्म किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूति मूल वाद के साथ हमफिता हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner